



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-6358/JH/214/2025-RU-IV

दिनांक: 03/07/2026

सेवा में,

उपायुक्त,
ज़िला-लातेहार,
उपायुक्त कार्यालय,
लातेहार, झारखंड 829206
ईमेल आईडी : dc-lat@nic.in

विषय: अत्याचार और अवैध कब्जे, साथ ही ST समुदाय से होने का झूठा दावा करने के खिलाफ शिकायत; साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट रद्द करने और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध - श्री राम गुलाम सिंह (जिला-लातेहार, झारखंड) की ओर से श्री नीरज कुमार मिश्रा (DMG & Associates) का पत्र।

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 15.07.2026 को 16.45 Hrs बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

पुर्नन्दु कान्त

(पुर्नन्दु कान्त / Purnendu Kant)

निदेशक / Director

ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in

Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री रामगुलाम सिंह,
ग्राम-बरवाडीह, टोला-गरवाटार,
पीओ एवं पीएस-बरवाडीह, जिला-लातेहार,
झारखंड - 822111
मोबाइल नंबर: 9871994286

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading